छत्तीसगढ़ शासन

ऊर्जा विभाग

<u>दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय</u>

क्रमांक 2714/स./ऊ.वि./2002, रायपुर, दिनांक 12 जुलाई,2002

<u>अधिसूचना</u>

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य में केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश.

::::0::::

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2637 दिनांक 31-10-2001 द्वारा अधिसूचित राज्य शासन की ऊर्जा नीति के अनुक्रम में राज्य में केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना के संबंध में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार विस्तृत दिशा निर्देश घोषित करता है :-

1. <u>केप्टिव पावर पलांट से आशय:-</u> केप्टिव पावर प्लांट से आशय किसी उद्योग द्वारा सामान्यत: स्वयं के उपयोग हेतु स्थापित विद्युत उत्पादन प्लांट, जिसमें जनरेशन सेट भी शामिल है, से है.

2. <u>केप्टिव पावर प्लांट की पात्रता:-</u> केप्टिव पावर प्लांट लगाने की पात्रता ऐसे उद्यमी को होगी जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का उपभोक्ता (उच्च दाब अथवा निम्न दाब) हो एवं जिस पर विद्युत मण्डल की कोई राशि बकाया न हो.

3. <u>केप्टिव पावर प्लांट की क्षमता:-</u> राज्य में स्थापित होने वाले नए उद्योगों तथा पूर्व से स्थापित उद्योगों द्वारा विस्तार किए जाने, जिससे राज्य में अतिरिक्त पूँजी निवेश तथा उद्योग की क्षमता में वृद्धि होगी, की दशा में उनकी संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक सीमा तक केप्टिव पावर प्लांट लगाए जाने की अनुमति दी जाएगी. किन्तु राज्य के बाहर बिजली बेचने की दशा में अतिरिक्त रूप से आवश्यक सीमा तक अनुमति दी जा सकेगी.

4. <u>केप्टिव पावर प्लांट की स्वीकृति:-</u> प्रस्तावित केप्टिव पावर प्लांट की क्षमता 25 मेगावाट तक होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी तथा क्षमता 25 मेगावाट से अधिक होने की स्थिति में अनुमति जारी करने के पूर्व केप्टिव पावर प्लांट धारक उपभोक्ता को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा.

5. केप्टिव पावर प्लांट से उत्पादित विद्युत को राज्य में स्थित किसी दूसरे उद्यमि (थर्ड पार्टी) को विक्रय की अनुमति नहीं दी जाएगी लेकिन यदि केप्टिव पावर प्लांट धारक राज्य के बाहर विद्युत विक्रय करना चाहता है, तो उसे राज्य विद्युत मण्डल के पारेषण प्रणाली के माध्यम से तकनीकी क्षमता अनुसार व्हीलिंग की अनुमति छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पश्चात दी जाएगी.

6. यदि केप्टिव पावर प्लांट धारक स्वयं की किसी अन्य इकाई (सिस्टर कंसर्न), जिसकी पात्रता का निर्धारण राज्य विद्युत मण्डल द्वारा किया जाएगा, को विद्युत आपूर्ति करना चाहते हैं तो इसकी अनुमति दी जावेगी. यदि यह आपूर्ति मण्डल के पारेषण एवं वितरण प्रणाली के माध्यम से की जाएगी तो मण्डल के पारेषण एवं वितरण प्रणाली का उपयोग करने के लिए केप्टिव पावर प्लांट उपभोक्ता द्वारा मण्डल को निर्धारित व्हीलिंग प्रभार प्रति यूनिट की दर से देय होगा.

7. केप्टिव पावर प्लांट धारक द्वारा उत्पादित बिजली में से किसी भी कारण से आधिक्य बिजली होने की दशा में केप्टिव पावर प्लांट धारक उपभोक्ता को उसके संयंत्र से उत्पादित विद्युत को राज्य के बाहर विक्रय की अनुमति दी जाएगी किन्तु इसके लिए केता ढूंढने का कार्य केप्टिव पावर प्लांट धारक उपभोक्ता को ही करना होगा. तकनीकी रूप से संभव होने पर मण्डल द्वारा केप्टिव पावर प्लांट से उत्पादित विद्युत को राज्य के बाहर विक्रय के लिए उपभोक्ता को पूर्ण सहयोग दिया जाएगा परन्तु इसके लिए केप्टिव पावर प्लांट धारक उपभोक्ता को मण्डल द्वारा निर्धारित प्रभार एवं ऊर्जा ह्रास (क्षरण) आदि के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा.

8. ऐसे उद्योग जिनके द्वारा पूर्व में ही केप्टिव पावर प्लांट लगाए गए हैं एवं जिन्हें थर्ड पार्टी को विक्रय की अनुमति दी गई है, को यह सुविधा इस हेतु उनके द्वारा किए गए विद्युत विक्रय अनुबंध की अवधि के लिए ही प्राप्त होगी.

9. केप्टिव पावर प्लांट से उत्पादित विद्युत को राज्य विद्युत मण्डल द्वारा क्रय करने की बाध्यता नहीं होगी, किन्तु राज्य विद्युत मण्डल द्वारा आवश्यकता की दशा में केप्टिव पावर प्लांट से विद्युत क्रय का प्रथम अधिकार ;पितेज तपहीज द्ध मण्डल का होगा. क्रय की दर का निर्धारण अन्य स्त्रोतों से उपलब्ध होने वाली बिजली की दरों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा.

10. केप्टिव पावर प्लांट धारक उपभोक्ता अथवा व्हील्ड पावर उपभोक्ता को मण्डल से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के लिए मण्डल तथा उनके बीच निष्पादित अनुबंध के तहत संविदा मांग घटाने अथवा बढ़ाने की स्वतंत्रा होगी लेकिन इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत मण्डल से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा.

11. <u>केप्टिव पावर प्लांट से उत्पादित विद्युत पर विद्युत शुल्क :-</u> केप्टिव पावर प्लांट से उत्पादित विद्युत पर विद्युत शुल्क ;म्समबजतपबपजल क्नजलद्ध जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लगाए जाएंगे, वह देय होंगे. पूर्व में दी गई छूट निर्धारित अवधि के लिए जारी रहेंगी एवं तत्पश्चात समय-समय पर प्रभावशील दरों के अनुसार विद्युत शुल्क देय होगा.

12. <u>केप्टिव पावर प्लांट से उत्पादित विद्युत पर उपकर :-</u> केप्टिव पावर प्लांट से उत्पादित विद्युत पर 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत ऊर्जा विकास उपकर ;म्दमतहल क्मअमसवचउमदज ब्मेद्ध देय होगा.

13. केप्टिव पावर प्लांट धारक उपभोक्ता यदि अपने संयंत्र को मण्डल की प्रणाली से समानांतर रखकर विद्युत उत्पादन करता है तो उसे विद्युत के आयात एवं निर्यात के मापन के लिए निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता का मीटर स्वयं के व्यय पर इंटर कनेक्टिंग पाइंट पर लगाना होगा. यदि उपभोक्ता द्वारा किसी भी प्रकार का आर.के.व्ही.एच. (रिएक्टिव पावर) की आपूर्ति मण्डल की प्रणाली से प्राप्त करता है तो उसे समय-समय पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा निर्धारित आर.के.व्ही.एच. प्रभार पृथक से देना होगा.

14. केप्टिव पावर प्लांट से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की प्रणाली से जोड़ने के लिए होने वाले व्यय का वहन केप्टिव पावर प्लांट धारक द्वारा किया जाएगा.

15. केप्टिव पावर प्लांट धारक उपभोक्ता/उद्यमी को किसी भी प्रकार की ऊर्जा बैंकिंग की सुविधा नहीं होगी.

16. केप्टिव पावर प्लांट लगाने की अनुमति प्राप्त हो जाने के उपरांत उद्यमी द्वारा प्लांट की स्थापना अधिकतम 3 से 5 वर्ष की अवधि, जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल निर्धारित करेगा, के अंदर किया जाना आवश्यक होगा.

17. जिन उपभोक्ताओं को वर्तमान में विद्युत की आपूर्ति मण्डल द्वारा की जा रही है, यदि वे आपात स्थिति के लिए डी.जी. सेट लगाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे डी.जी. सेट स्टेण्ड बाई के रूप में आवश्यक सीमा तक लगाने की अनुमति विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के अंतर्गत दी जा सकेगी.

18. उपभोक्ता के स्वयं के द्वारा उत्पादित विद्युत के मापन के लिए उच्च्व गुणवत्ता एवं मापदण्ड का मीटर स्वयं के व्यय पर विद्युत मण्डल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप लगाना होगा ताकि उसके द्वारा समय-समय पर उत्पादित विद्युत की समीक्षा की जा सके तथा माहवारी रीडिंग भी ली जा सके.

19. केप्टिव पावर प्लांट धारक उद्योगों द्वारा सिस्टर कंसर्न इकाई को राज्य विद्युत मण्डल की विद्युत प्रणाली का उपयोग कर विद्युत आपुर्ति करने पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा समय-समय पर निर्धारित व्हीलिंग प्रभार व शर्तें प्रभावशील होगी.

20. <u>वैधानिक आवश्यकताएं एवं स्वीकृतियाँ :-</u> केप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने के लिए उद्यमी को नियमानुसार सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त करना होगी. उसे भूमि, इंधन आपूर्ति एवं जल आपूर्ति आदि की व्यवस्था भी स्वयं करनी होगी.

21. <u>अनुमति का निरस्तीकरण</u> :- किसी उद्यमी/उपभोक्ता द्वारा केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना हेतु शासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने, विद्युत मण्डल द्वारा प्रस्तुत अनुमति की शर्तो पालन नहीं करने, विद्युत प्रदाय के संबंध में मण्डल के साथ निष्पादित अनुबंध का उल्लंघन करने आदि की दशा में केप्टिव पावर प्लांट संबंधी अनुमति निरस्त की जा सकेगी और ऐसे उपभोक्ता/उद्यमी के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी.

उक्त दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(अजय सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग

पृष्ठांकन कमांक 2715/स./ऊ.वि./2002, रायपुर, दिनांक 12 जुलाई, 2002

प्रतिलिपि :-

1- मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, ऊर्जा को सूचनार्थ.
2- मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय.
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.
4- शासन के समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव.
5- सचिव, महामहिम राज्यपाल का सचिवालय/मुख्य मंत्री सचिवालय/विधान सभा सचिवालय को सूचनार्थ.
6- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा, रायपुर.
7- संचालक, जन संपर्क अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, बैरन बाजार, रायपुर.
8- सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, डगनिया, रायपुर.
9- मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ शासन, बैरन बाजार, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.
10- उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगाँव की ओर अधिसूचना को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशनार्थ. कृपया प्रकाशन उपरांत अधिसूचना की 100 प्रतियों का प्रदाय विभाग को शीघ्र करें.

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग